



फ्र.क्र- R/532
 नि.ता. 22/11/19
 प्र.सुति- 21/2/19

(176)

को.सि.प्र.व.सं.
 को.सि.प्र.सं. 21-219
 को.सि.प्र.सं.
 को.सि.प्र.सं.
 21-219

न्यायालय राजस्व मंडल (म.प्र.)

पुनःस्थापन-0286/2019/रकरगोन/भू.सं.

के.मो.श.

प्रार्थी

वि.

बोधधाम / संजय

प्रत्यर्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 35(3) म.प्र.भूरसावतंहिता
 में हेतु

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि

(1) यह कि प्रकरण में पूर्व चेसी दि. 22/11/19 नियम
 की उक्त प्रावधानों के प्रकरण अद्य चैरवी में निर्यात
 किया गया है।

(2) यह कि प्रार्थी की ओर से इस निगरानी के अतिरिक्त
 को.सि.प्र. निगरानी के.मो.श. र.मो.सं.द्व. के.मो.श.सं.सं.
 भी इसी के माध्य प्रस्तुत की गई थी. उक्त नि.ता. प्रकरण
 एक ही प्रार्थी से सम्बन्धित है। ~~उक्त प्रार्थी की ओर से~~
 उक्त अभिभाषक दि. 22/11/19 को प्रकरणों में उपस्थित हुए थे
 कि-र उक्त दि. के के.मो.श. र.मो.सं.द्व. में उपस्थित एवं
 पक्षी दि. 13/3/19 प्रदान की गई थी किन्तु अधीनस्थ इस
 प्रकरण में उपस्थित एवं नहीं हो पाए किन्तु प्रकरण
 अनुपस्थित में निर्यात कर दिया गया था।


(3) यह कि प्रकरण में प्रार्थी की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण
 है। अन्य ज्ञेय जान योग्य है।

(4) यह आवेदन निर्यात के प्रकरण को पुनःस्थापित
 किया जाना न्यायालय में आवश्यक है।

अतः न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन निर्यात
 के प्रकरण को पुनःस्थापित किया जावे

दि. 21/2/19

प्रार्थी का आर्क्ष
 प्रार्थी का आर्क्ष



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक:पुर्नस्थापन -0286/2019/खरगौन/भू-रा.....

तहसील:

जिला:खरगौन....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का
प्रकरण :

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण
क्रमांक:

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण
क्रमांक:

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण
क्रमांक :

तहसील का प्रकरण क्रमांक:

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो :निगरानी/5824/2018/खरगौन/भूरा,....

वाद का विषय:पुर्नस्थापन

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत
प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है :म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....खरगौन.... ।के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...22/01/2019... के विरुद्ध ...कैलाश...।...संजय..।...पियूष वर्मा... के अभिभाषक द्वारा पुर्नस्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...13/03/2019...है। जिसकी सूचना आपको एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।</p> <p>13-3-2019</p> <p>आवेदक श्री अशोक श्री पिपूष वर्मा, अमिताष अस्थित पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया। न्यायवित्त में पुर्नस्थापन आवेदन पत्र शायद किया जाता है। शल प्रकरण क्रमांक निगरानी 5824/2018/खरगौन/भू.रा.सं.सं. के पुर्न नम्बर पर किया जाता है। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	

अ.एम.एस.

13/3/19